

6 अवैध कॉलोनी निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध होगी एफआईआर एफआईआर दर्ज करने हेतु थाना प्रभारियों को लिखा पत्र

रतलाम 30 नवम्बर । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरित नगरीय क्षेत्र रतलाम में 6 अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वाले 15 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार संबंधित थाना प्रभारियों को पत्र लिखा गया।

तेजसिंह—शंभूसिंह धमाई जी का वास द्वारा बजरंग नगर में 1.387 हैक्टर, शिवनारायण व अशोक—मांगीलाल राठौर 52/1, रामगढ़ द्वारा कनेरी रोड पर 2.75 हैक्टर, धन्नालाल—बालाराम पाटीदार कनरी रोड द्वारा कनेरी रोड पर .960 हैक्टर, राधाबाई पति मनोहरलाल शर्मा, राकेश मनोहरलाल, विशाल—मनोहरलाल शर्मा शुभम् रेसीडेंसी द्वारा कनेरी रोड पर 1.890 हैक्टर, मुजीब—इनामुरेहमान अशोक नगर, अशरफ—अब्दुल कलाम बेलिम, अब्दुल वहीद—अब्दुल कलाम मोहन टॉकिज, बालकृष्ण—रामनारायण पिपलोदिया द्वारा अशोक नगर के पीछे 0.489 हैक्टर, सुमीत—बंशीलाल गांधी, राजेश—बाबुलाल कटकानी पोरखाड़को का वास, पंकज—शांतिलाल श्रीमाल बाजना बस स्टैण्ड व अरुणा—विजेन्द्र पितलिया गुलमोहर कालोनी द्वारा धोलावाड़ रोड पर 1.125 हैक्टर भूमि पर अवैध कॉलोनी निर्माण करवाये जाने व नियम विपरित किये गये निर्माण को नगर निगम द्वारा तोड़े जाने की राशि जमा नहीं कराने पर संबंधित थाना प्रभारियों को कालोनो विकास की अनुमति के बिना अवैध रूप से कालोनी निर्माण करने पर मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 1998 के अन्तर्गत अवैध कालोनाईजेशन के तहत एफआईआर दर्ज किये जाने हेतु पत्र लिखा गया।

झातव्य है कि कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर लगाम लगाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के मार्गदर्शन में उक्त अवैध कालोनी से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाये निर्धारित 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से राशि वसूली जायेगी जिसके तहत उक्त कालोनी निर्माण करने वालों को अवैध निर्माण तोड़ने की राशि वसूलने हेतु शीघ्र नोटिस जारी किया गया था।

तिलक लगा श्रीफल भेंट कर किया सफाई मित्रों का सम्मान

धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के अवसर पर झोन क्रमांक -1 में उत्सवी वातावरण

में सफाई मित्रों का सम्मान किया गया। नगर निगम आयुक्त ने शहवासियों से

किया आव्हान— आपका सहयोग और सहकार—जीतेंगे हम इस बार

रतलाम 30 नवम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 के परीणामों के बाद संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के निर्देश आयोजित धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत मंगलवार को झोन क्रमांक -1 में स्थित आम्बेडकर सभागृह में उत्सवी वातावरण में सफाई मित्रों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सफाई मित्रों का स्वागत तिलक लगाकर किया गया। इसके बाद इन्हे फुलमालाओं के साथ श्रीफल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए जाने का आव्हान भी किया गया।। सफाई मित्र समूह द्वारा कचरामुक्त स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर आकर्षक रांगोलियों का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया गया।

धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में आए बेहतर परिणामों के लिए सफाई मित्र, नागरिकों, व्यापारी बंधुओं, विभिन्न संस्थाओं के साथ ही स्वच्छागृहीगणों आदि का सम्मान किया जाना है।

आज अभियान के दूसरे दिन शहर के चारों झोनों पर समारोह आयोजित कर सफाई मित्रों, सहयोगी संस्थाओं और स्वच्छागृहीणों आदि का पुष्प मालाओं, पुष्प गुच्छों व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया।

इस मौके पर आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि सफाई मित्र सहित स्वच्छता कार्य में लगे तमाम लोग हमारी सेना हैं। इस सेना के कारण इस वर्ष रतलाम शहर को स्वच्छता रेंकिंग में बेहतर स्थान मिला है। अब हम सबका दायित्व है कि स्वच्छता के लिए हम शहरवासियों को भी ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें।

श्री झारिया ने बताया कि स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हमें इधर-उधर कचरा नहीं भेजना चाहिए। कचरा हमेशा कचरा संग्रहण वाहन के अलग—अलग खानों में डाला चाहिए में ही फेंकना चाहिए। कहा भी गया है स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। इसलिए स्वच्छता को अपनाएं और शहर को आगे बढ़ाएं। बेहतर साफ—सफाई से ही शहर को आदर्श बनाया जा सकता है। अतः स्वच्छता के लिए दूसरों को भी प्रेरित करें।

श्री झारिया ने नागरिकों से आव्हान किया है कि घर और दुकानों से निकले कचरे का निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग—अलग हिस्सों में ही करें। स्वच्छता के प्रति नागरिकों की जागरूकता जरुरी है तभी हम अपने शहर को देश में स्वच्छता के मामले में नम्बर-1 बना पाएंगे, इसी के साथ वैक्सीनेशन के मामले में भी शत प्रतिशत टीके लगवा कर रतलाम का गौरव बढ़ाएं।

“धन्यवाद मध्यप्रदेश” अभियान के तहत 01 व 02 दिसम्बर को घरों से कचरा संग्रहण के दौरान सभी नागरिकों का उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापन, शहर में स्वच्छता एप का प्रचार—प्रसार और स्वच्छता एप के माध्यम से शिकायत समाधान, 03 व 04 दिसम्बर को सार्वजनिक क्षेत्रों में सफाई रखने के लिए नागरिकों एवं व्यापारिक संस्थानों, छोटी बड़ी सभी दुकानों आदि में नगर निगम व एनजीओ की टीम के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क और धन्यवाद ज्ञापन, शहर में स्वच्छता एप का प्रचार—प्रसार और स्वच्छता एप के माध्यम से शिकायत समाधान व 05 व 06 दिसम्बर को सार्वजनिक शौचालयों के संचालकों का उनके स्थान पर ही जाकर सम्मान व शहर में स्वच्छता एप का प्रचार—प्रसार और स्वच्छता एप के माध्यम से शिकायत समाधान करवाना है।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोंलकी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल, झोन प्रभारी सर्वश्री किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, विराट मेहरा, मोनिका चौहान, दिव्या पाटीदार व शैलेन्द्रसिंह कटारिया, अशोक शर्मा सहित सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

घर—घर दस्तक महाअभियान में कोरोना के दूसरे टीके वंचित नागरिकों को टीका लगवायें

निगम आयुक्त श्री झारिया व एसडीएम श्री गेहलोत बैठक में दिये निर्देश

रतलाम 30 नवम्बर। नगर के ऐसे नागरिक जो कि कोरोना का पहला टीका लगवाकर तय समय—सीमा पूर्ण कर चुके हैं उन्हे 01 दिसम्बर बुधवार को घर—घर दस्तक वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत शत—प्रतिशत टीका लगवाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया व एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत ने निगम अधिकारी, इंजीनियर व वार्ड दरोगा, आंगनवाड़ी सुपरवाईजरों की बैठक ली।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निगम अधिकारी, इंजीनियर, वार्ड दरोगाओं व आंगनवाड़ी सुपरवाईजरों को निर्देशित किया कि 01 दिसम्बर बुधवार को घर—घर दस्तक वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी घर—घर जाकर कोरोना के दूसरे टीके से वंचित नागरिकों को

अनिवार्य रूप से टीका लगवाये जाने का कार्य अपने—अपने क्षेत्र में मुस्तैदी से किये जाने हेतु सभी प्रातः 7 बजे से इस कार्य में जुट जाये।

एसडीएम श्री गेहलोत ने इस अवसर पर निर्देशित किया कि 01 दिसम्बर बुधवार को चलाये वैक्सीनेशन महाभियान में हमें घर-घर जाकर शत-प्रतिशत टीकाकरण करना है इसलिये नियुक्त अधिकारी कर्मचारी इस बात का विशेष ध्यान दखें कि अभियान के तहत एक भी घर ना छूटे।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, प्रभारी सहायक यंत्री श्री एम.के. जैन, उपयंत्री, झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित थीं।

पेंशन हितग्राहियों का आज अमृत सागर उद्यान में होगा भौतिक सत्यापन

अमृत सागर उद्यान में 140 हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

5308 हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

रतलाम 30 नवम्बर । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले शेष रहे हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन एम. पेंशन मित्र पोर्टल पर किये जाने हेतु झोन कार्यालयों पर शिविर आयोजित किये गये हैं जिसके तहत 01 दिसम्बर बुधवार को हरमाला रोड पम्प हाउस में शिविर आयोजित किया गया है। अमृत सागर उद्यान में 30 नवम्बर बुधवार को आयोजित शिविर में 140 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया गया अब तक 5308 हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है।

भौतिक सत्यापन हेतु ज्ञान कार्यालयों पर आयोजित किये गये शिविरों के तहत 01 दिसम्बर बुधवार को झोन क्रमांक 4 हरमाला पम्प हाउस में वार्ड क्रमांक 19, 20, 21, 24, 25, 26, 40, 41, 42, 43 व 44 के हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन प्रातः 10 से सांय 6 बजे तक किया जायेगा।

नगर निगम द्वारा पेंशन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेज बीपीएल राशन कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाते की पास बुक, निवासी, जन्म, आयु, चिकित्सक, निःशक्तता, आयकर दाता ना हो, पति की मृत्यु का प्रमाण—पत्र, अंक सूची, मतदाता सूची, मतदाता परिचय—पत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत जारी जाब कार्ड के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

30 नवम्बर को 65 टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 30 नवम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक—पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले—सूखे कचरे व सड़कों व नाले—नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 30 नवम्बर मंगलवार को 65 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

30 नवम्बर मंगलवार को डम्पर से 12885, ट्रेक्टर से 17370, काम्पेक्टर सूखा कचरा 18910 व काम्पेक्टर गीला कचरा 16615 किलो इस तरह कुल 65870 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

1376 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 30 नवम्बर। रतलाम नगर को साफ—स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालकों द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 30 नवम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1376 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 30 नवम्बर को जवाहर नगर, अलकापुरी, समुमंगल गार्डन के पीछे आदि क्षेत्रों से 4 मवेशियों को निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

2285 हितग्राही पीएम स्वनिधि के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 78 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 30 नवम्बर। नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूँजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूँजी हेतु 2190 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूँजी हेत 95 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 75 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 30 नवम्बर। शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलों के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलों को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जान पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 30 नवम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 30 नवम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 30 नवम्बर। स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर—1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले—नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले—नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ—सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ—सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 30.11.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.